संख्या-19/2019/404/46-1-19-1000(74)/2012

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, (गन्ना उत्पादक जिले) उ.प्र.।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गन्ना उत्पादक जिले) उ.प्र.।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2019

विषयः-प्रदेश के गन्ना कृषकों के खेतो का मृदा परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार मृदा पोषक तत्वों के प्रयोग कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृषि उत्पादन लागत घटाने, स्वस्थ एवं निरोग गन्ने का उत्पादन, गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता को बढ़ाने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थायित्व प्रदान करने हेतु संन्तुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग का उल्लेखनीय योगदान है, जिसके दृष्टिगत गन्ना कृषकों के खेतों की मृदा उर्वरता को इंगित करने हेतु मृदा का परीक्षण एवं स्वायल हेल्थकार्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिसके लिए निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

(1) मृदा परीक्षण के उद्देश्यः-

मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का सही-सही निर्धारण कर मृदा स्वास्थ्य कार्डो के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाना। विभिन्न फसलों की दृष्टि से पोषक तत्वों की कमी का पता करके किसानों को स्पष्ट सूचना देना। मृदा पोषक तत्वों की स्थिति ज्ञात करना और उसके आधार पर फसलों के अनुसार उर्वरकों/खादों को डालने की संस्तुति करना। मृदा की विशिष्ट दशाओं का निर्धारण करना, जिसमें मृदा को कृषि विधियों और मृदा सुधारको की सहायता से ठीक किया जा सके। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(2) कब करें:-

फसल की कटाई हो जाने अथवा परिपक्व खड़ी फसल में। प्रत्येक तीन वर्ष में फसल मौसम शुरू होने से पूर्व एक बार। भूमि में नमी की मात्रा कम से कम हो।

(3) कैसे करें:-

एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 8-10 स्थानों पर 'v' आकार के 6 इंच गहरे गढ्ढे बनायें, खुरपे की सहायता से गढ़ढे में उपर से नीचे की मिट्टी मिलायें, एक खेत के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सभी स्थानों से प्राप्त मिट्टी को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त नमूना बनायें। नमूने की मिट्टी से कंकड़, घास इत्यादि अलग करें। सूखे हुए नमूने को कपड़े की थैली में भरकर कृषक का नाम, पता, खसरा संख्या, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या, उगाई जाने वाली फसलों आदि का ब्यौरा दें। नमूना प्रयोगशाला को प्रेषित करें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण- पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाई आक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:-

मुख्य पोषक तत्व- नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश।
गौण पोषक तत्व- कैल्सियम, मैग्नीशियम एवं गन्धक।
सूक्ष्म पोषक तत्व- लोहा, जिंक, कापर, मैग्नीज, मालिब्डेनम, बोरॉन एवं क्लोरीन।

लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बढ़ रहा है। परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है।

(4) सावधानियां:-

मृदा का नमूना इस तरह से लेना चाहिए जिससे वह पूरे खेत की मृदा का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें तथा साफ थैली में डालें। मृदा का नमूना बुआई से लगभग एक माह पूर्व प्रयोगशाला में भेज दें जिससे समय पर मृदा की जांच रिपोर्ट मिल जाएं एवं उसके अनुसार उर्वरक एवं सुधारकों का उपयोग किया जा सके। यदि खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें और मृदा का नमूना लेना हो तो फसल की कतारों के बीच से नमूना लेना चाहिए। जिस खेत मे कंपोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना न लें। मृदा के नमूने के साथ सूचना पत्र अवश्य डालें जिस पर साफ अक्षरों में नमूना संबधित सूचना एवं किसान का पूरा पता लिखा हो।
(**नोटः** रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना न लें। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़, सड़क हो और यहाँ गोबर खाद का पहले ढेर लगाया गया हो या गोबर खाद डाली गई हो, वहाँ से मृदा का नमूना न लें। ऐसे भाग से भी नमूना न लें, जो बाकी खेत से भिन्न हो। अगर ऐसा नमूना लेना हो, तो इसका नमूना अलग रखें।)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) मिट्टी परीक्षण दोबारा कितने समय के अंतराल पर करायें:-

कम से कम 3 या 5 साल के अन्तराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य करवा लें। एक पूरी फसल-चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। हल्की या क्षरित भूमि की मृदा परीक्षण की अधिक आवश्यकता है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिये। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाये।

(6) मिट्टी परीक्षण कहाँ करायें:-

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कृषि विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मृदा परीक्षण सचल वैन तथा गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सहारनपुर में किसान सहकारी चीनी मिल ननौता, मेरठ में नगलामल शुगर कॉम्पलेक्स, नगलामल, बागपत में रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि.रमाला(बागपत), बिजनौर में धामपुर शुगर मिल्स लि० धामपुर, बिजनौर किसान सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद, बिजनौर अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि. यूनिट-स्योहारा, पीलीभीत में एल.एच.एस.एफ., शाहजहॉपुर डालमिया चीनी मिल निगोही, लखीमपुर में गोविन्द शुगर मिल्स ऐरा, अजबापुर चीनी मिल, चीनी मिल कुम्भी सीतापुर में चीनी मिल जवाहरपुर, चीनी मिल हरगॉव चीनी मिल बिसवां, हरदोई में चीनी मिल रूपापुर, चीनी मिल हरियॉव, चीनी मिल लोनी, फैजाबाद में रौजागॉव चीनी मिल. रौजागॉव, गोण्डा में मनकापुर चीनी मिल मनकापुर, बलरामपुर में बलरामपुर चीनी मिल्स लि. बलरामपुर, कुशीनगर में ढ़ाढ़ा बुजुर्ग (हाटा), आजमगढ में द किसान सहकारी चीनी मिल लि० सठियाव आजमगढ, कुशीनगर में गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही एवं उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर, गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर, इफ्को, कृभको, कृषि विभाग द्वारा संचालित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मृदा परीक्षण कराया जा सकता है।

(7) मृदा स्वास्थ्य कार्डः-

मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देशय प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना है और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक मृदा सुधारकों के संबंध में सलाह देना है ताकि लंबी अवधि के लिए मृदा स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके। सिंचित दशा में 2.5 हेक्टेयर तथा असिंचित 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल से एक नमूना ग्रिड़ के आधार पर लिया जाता है ग्रिड़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त कृषकों को एक समान मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा। इसमें 12 पैरामीटर (मुख्य पोषक तत्व- मृदा पी०एच०, ई० सी०, जीवांश कार्बन उपलब्ध (नत्रजन), उपलब्ध फॉस्फोरस, उपलब्ध पोटाश, द्वितीय पोषक तत्व-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व-जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन, का परीक्षण) जाँच/परीक्षणोपरांत ही कृषको को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

2- गन्ना कृषको को उपलब्ध कराये गये मृदा स्वास्थ्य कार्डो मे उनके खेतों की मृदा परीक्षण की रिपोर्ट अंकित है अथवा नही का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रिपोर्ट के आधार पर कृषको द्वारा पोषक तत्वों का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नही। इसके लिए प्रत्येक जिला गन्ना अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उनके जनपद में कृषकों को वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर रिपोर्ट अंकित है। इस हेतु जनपदों में कुल उपलब्ध कराये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 10 प्रतिशत गन्ना विकास निरीक्षकों के द्वारा कृषकों के यूनिक आईडी नम्बर के अन्तिम अंक जो विषम (odd) क्रम में हों, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों द्वारा कृषकों के यूनिक आईडी नम्बर के अन्तिम अंक जो सम (even) क्रम में हो, का 05 प्रतिशत, जिला गन्ना अधिकारियों के द्वारा कुल सत्यापन का 1 प्रतिशत एवं उप गन्ना आयुक्तों के द्वारा कुल सत्यापन का 0.5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाये। उक्त सत्यापन को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर से अधिकारियों द्वारा औचक जांच भी की जायेगी। समस्त गन्ना कृषकों को शत-प्रतिशत स्वायल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं तथा गन्ना समितियों के माध्यम से वितरित उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वायल हेल्थ कार्ड के रिपोर्ट के बिना किसी भी गन्ना कृषक को पोषक तत्व उपलब्ध नही कराये जायेगें, यदि अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों को दिये जाने की सूचना संज्ञान में आती है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें-

1. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ/राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि, उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
6. महा प्रबन्धक, इफ्को एवं कृभको, उ.प्र.।
7. प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उ.प्र.।
8. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उ.प्र.।
9. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियाँ उ.प्र.।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।